फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरसिंह **विपक्षी : श्री शम्भुसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 15/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.01.2023 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज होकर विपक्षी सं. 1 द्वारा आराजी नम्बर 503 पर जबरन कब्जा करने पर उतारू होने से विपक्षी सं. 1 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी द्वारा आराजी नम्बर 503 किस्म बंजड होकर ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी धन खर्च कर 15 फीट चौडी एवं 350 फीट लम्बी सी.सी. रोड का निर्माण करना बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। चूंकि आराजी नम्बर सी.सी. सडक बनी होने से उक्त सडक सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.02.2022 हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(श्रीकान्त व्यास)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.02.14 12:59:46 IST Reason: SelfAttested	